**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**
**2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16170**

= = = =

9. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, निपनिया, ब्लॉक– इसुआपुर, जिला– सारण (छपरा)।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गोपालगंज।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), गोपालगंज, बिहार।
6. मुखिया–सह–अध्यक्ष, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज, पैठण पट्टी, मांझा, गोपालगंज।
7. पंचायत सचिव–सह–सचिव, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज, पैठान पट्टी, मांझा, गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

बनाम

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, गोपालगंज।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), गोपालगंज।
5. अपने सदस्य सचिव, खंड विकास अधिकारी, पंचदेवाड़ी, पोस्ट ऑफिस– और थाना– पंचदेवाड़ी, जिला–गोपालगंज के माध्यम से खंड रोजगार इकाई, पंचदेवाड़ी।
6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, पंचदेवाड़ी, पोस्ट ऑफिस– और थाना– पंचदेवाड़ी, जिला– गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

**साथ में**

**2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 12923**

= = = =

**साथ में**

**2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15450**

= = = =

6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, उच्चकगाँव, जिला–गोपालगंज।

7. मुखिया, ग्राम पंचायत राज, दहिभाटा, ब्लॉक–उच्चकगाँव, जिला–गोपालगंज।

8. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत दहिभाटा, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

5. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बरौली, पोस्ट– और थाना–बरौली, जिला–गोपालगंज।
6. मुखिया–सह–अध्यक्ष, पंचायत शिक्षक रोजगार समिति, ग्राम पंचायत राज, काहला, ब्लॉक और थाना–बरौली, जिला–गोपालगंज।
7. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, काहला, ब्लॉक और थाना–बरौली, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

5. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बैकुनथपुर, पोस्ट– और थाना–बैकुनथपुर, जिला–गोपालगंज।
6. मुखिया–सह–अध्यक्ष, पंचायत शिक्षक रोजगार समिति, ग्राम पंचायत राज, अजाबीनगर, ब्लॉक और थाना–बैकुंठपुर, जिला–गोपालगंज।
7. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, अजाबीनगर, ब्लॉक और थाना–बैकुंठपुर, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गोपालगंज।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), गोपालगंज।
6. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, श्रीसिया, कुचायकोट, जिला–गोपालगंज।
7. मुखिया, ग्राम पंचायत राज, श्रीसिया, कुचायकोट, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

बनाम

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, गोपालगंज।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), गोपालगंज।
4. खंड विकास अधिकारी, बैकुनथपुर, पोस्ट– और थाना–बैकुनथपुर, जिला–गोपालगंज।
5. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बैकुनथपुर, पोस्ट– और थाना–बैकुनथपुर, जिला–गोपालगंज।
6. मुखिया–सह–अध्यक्ष, पंचायत शिक्षक रोजगार समिति, ग्राम पंचायत राज, दिघवा दक्षिण, ब्लॉक और थाना–बैकुंठपुर, जिला–गोपालगंज।
7. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, दिघवा दक्षिण, ब्लॉक और थाना–बैकुंठपुर, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

8. धर्मेंद्र कुमार भक्त, पिता– श्री जगदीश भक्त, गाँव–दिहिया, पिपरा नारायण, पोस्ट–दीनदयालपुर, जिला–सिवान, पिन–841506 के निवासी।
9. सरिता सिंह, पति श्री विनय कुमार प्रसाद, कोठुआसरंगपुर, पोस्ट–कोठुआसरंगपुर, जिला–सिवान, पिन–841238 की निवासी।
10. गुड़िया कुमारी, पति श्री कुमार मणिकांत, गाँव–न्यू भूपतिपुर, दक्षिण भूपतिपुर, पोस्ट–शेखपुरा, जिला–पटना, पिन–800020 की निवासी।
11. संगीता कुमारी, पति श्री राजेश सिंह, उत्तर तोला इटवा, थाना–इटवा, जिला–सिवान, पिन–841241 की निवासी।

..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सिवान।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रतिष्ठान (स्थापना), सिवान।
5. खंड विकास अधिकारी–सह–सचिव, खंड शिक्षक रोजगार इकाई, पचरुखी, जिला–सिवान।
6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, पचरुखी, जिला–सिवान।
7. खंड शिक्षक रोजगार इकाई, पचरुखी, जिला–सिवान अपने सचिव के माध्यम से।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

4. जिला दंडाधिकारी, सारण।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सारण।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सारण।
7. खंड विकास अधिकारी, मांझी, सारण।
8. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, मांझी, सारण।
9. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बालेसरा, मांझी, सारण।
10. मुखिया, ग्राम पंचायत राज बालेसरा, मांझी, सारण
11. हेडमास्टर, गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय कोहरा बालक, मांझी, सारण।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

**साथ में**

**2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10139**

= = = =

**साथ में**

**2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13526**

= = = =

बनाम

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, गोपालगंज।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), गोपालगंज।
4. खंड पंचायती राज अधिकारी, फुलवरिया, पोस्ट– और पी.एस. – फूलवारीया, जिला–गोपालगंज।
5. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, फुलवरिया, पोस्ट– और पी.एस. – फूलवारीया, जिला–गोपालगंज।
6. मुखिया–सह–अध्यक्ष, पंचायत रोजगार समिति, ग्राम पंचायत राज, चुरामनचक, पोस्ट– और पी.एस. – फूलवारीया, जिला–गोपालगंज।
7. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, चुरामनचक, पोस्ट– और थाना– फूलवारीया, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

**साथ में**

**2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17679**

= = = =

6. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), शिक्षा, सिवान।
7. खंड विकास अधिकारी (प्रतिष्ठान), शिक्षा, सिवान।
8. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, खंड–भगवानपुर हाट, जिला–सिवान।
9. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बल्हा इराजी, अंचल भगवानपुर हाट, जिला–सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

6. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सिवान।
7. खंड रोजगार समिति–सह–अध्यक्ष–प्रखण्ड प्रमुख, गोरयाकोठी, जिला–सिवान।
8. खंड विकास अधिकारी, गोरयाकोठी, सिवान।
9. खंड पंचायती राज अधिकारी, गोरयाकोठी, सिवान।
10. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, गोरयाकोठी, सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

3. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), गोपालगंज।
4. प्रखंड पंचायती राज अधिकारी, बरौली, पोस्ट– और थाना–बरौली, जिला–गोपालगंज।
5. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बरौली, पोस्ट– और थाना–बरौली, जिला–गोपालगंज।
6. पंचायत सचिव–सह–सचिव, पंचायत शिक्षक रोजगार इकाई, ग्राम पंचायत राज, रामपुर, पोस्ट–रामपुर, ब्लॉक और थाना–बरौली, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

2. सतिश कुमार दूबे, पिता– जनारदन दूबे, ग्राम–नारायनपुर, डाकघर–उचकागांव, और पुलिस स्टेशन–कुचैतोट, जिला–गोपालगंज के निवासी हैं। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय जलालपुर हिंदी, अंचल–लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

3. मुन्नी खातून, पिता– अली राजा हुसैन, ग्राम मुरा, थाना– बसंतपुर, जिला–सिवान की निवासी वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय वज़ीदपुर उर्दू, अंचल–लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान,में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

4. इशरत परवीन उर्फ इशरत परबीन, पिता– ऐनुल हक अंसारी, ग्राम और डाकघर–मुस्तफाबाद, थाना–गोरयाकोठी, जिला–सिवान की निवासी। वर्तमान में सरकारी माध्यमिक विद्यालय सिकटिया, अंचल लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

5. कुमारी सीमा गुप्ता, पिता विनोद गुप्ता, ग्राम और डाकघर और थाना– बसंतपुर, जिला– सिवान के निवासी हैं। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय वाज़दीपुर उर्दू, अंचल–लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

6. वाजदा तब्बासुम, पिता– समीउल्ला अंसारी, ग्राम–सहनावज़पुर, थाना–गोरयाकोठी, जिला–सिवान की निवासी। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय खवासपुर हिंदी, अंचल– लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

7. मोहम्मद मोजीबुर रहमान, अताउर रह के पुत्र, गांव और पोस्ट ऑफिस मुस्तफाबाद, पुलिस थाना – गोरेयाकाथी, जिला– सिवान के निवासी। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय खवासपुर हिंदी, अंचल–लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

8. शिव कुमार राम, पिता– कलाम राम, ग्राम बिंदवाल, डाकघर–चैनपुर, थाना– गोरयाकोठी, जिला सिवान के निवासी। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय इंदौली, अंचल लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

9. गुलाब चंद राम, पिता– रामप्यारे राम, ग्राम और डाकघर– खजुरी, थाना– कुचाईकोट, जिला गोपालगंज के निवासी। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय उज्जैना, अंचल–लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

10. दिनेश सिंह, पिता– रामशंकर सिंह, ग्राम और डाकघर– रतनपुरा, पुलिस थाना–गोपालपुर, जिला–गोपालगंज के निवासी। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय बसौली, अंचल–लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

11. नीतू कुमारी, पिता शैलनाथ सिंह, ग्राम और डाकघर–कवालपुर, थाना– गोरयाकोठी, जिला–सारण, छापरा की निवासी हैं। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय बड़वान डुमरी, अंचल–लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

12. मो. जियाउल रहमान उर्फ मो. जियाउ रहमान, पिता– ऐनुल हक अंसारी, गांव– मुस्तफाबाद, पोस्ट ऑफिस चैनपुर, पुलिस थाना गोरेयाकोठी, जिला सिवान के निवासी। वर्तमान में सरकारी कन्या माध्यमिक विद्यालय नंदपुर, अंचल–लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

13. कुमारी आरती कुशवाहा, पति चंदन कुमार, ग्राम और डाकघर उचकग्राम, थाना– कुचायकोट, जिला–गोपालगंज की निवासी। वर्तमान में सरकारी मिडिल स्कूल बिशुनपुरा, अंचल लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

14. अजय कुमार गुप्ता, पिता– योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, ग्राम और डाकघर–सासामुसा, थाना–कुचायकोट, जिला–गोपालगंज के निवासी। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय उज़ैना, आंचल लकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान, में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

15. सावित्री कुमारी, पिता सहदेव राम, ग्राम और डाकघर–चैनपुर, थाना–गोरयाकोठी, जिला सिवान की निवासी हैं। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय भड्डा उर्दू, आंचल लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

16. अनुपमा कुमारी, पिता– रंजीत सिंह, ग्राम और डाकघर–उचकग्राम, थाना–कुचायकोट, जिला–गोपालगंज की निवासी। वर्तमान में सरकारी विभाग में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं। मिडिल स्कूल किशुनपुरा, आंचल–लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान।

17. मो. रिज़वान, पिता सगीर आलम, ग्राम और डाकघर लाकड़ी नबीगंज थाना–नबीगंज, जिला–सिवान के निवासी। वर्तमान में सरकारी उन्नत मध्य लाकड़ी मकतब, आंचल–लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

18. शाहिद इकबाल, पिता– साहबुद्दीन अहमद, ग्राम और डाकघर और थाना–बसंतपुर, जिला–सिवान के निवासी। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय नंदपुर, आंचल–लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

19. अजय कुमार, पिता– हरि नारायण पाण्डेय, ग्राम और डाकघर–गोपालपुर, थाना–नबीगंज, जिला–सिवान के निवासी। वर्तमान में सरकारी मिडिल स्कूल गोपालपुर, आंचल–लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

20. सुबी कुमारी, पिता रामेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम–बसौली, डाकघर–नबीगंज, थाना– नबीगंज जिला सिवान की निवासी। वर्तमान में सरकारी उन्नत माध्यमिक विद्यालय लच्छुआ, आंचल–लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान में प्रखण्ड शिक्षक के रूप में तैनात और कार्यरत हैं।

..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सिवान।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सिवान।
6. खंड विकास अधिकारी लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान।
7. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान।
8. खंड पंचायत राज अधिकारी सह खंड विकास अधिकारी, लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान।
9. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज लाकड़ी नबीगंज, ब्लॉक–लाकड़ी नबीगंज, जिला–सिवान।
10. सचिव, ब्लॉक रोजगार इकाई, ब्लॉक–लाकरी नबीगंज, जिला–सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

7. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, लकारि नविगंज, जिला–सिवान।

8. खंड पंचायती राज अधिकारी–सह–खंड विकास अधिकारी, लकारि नविगंज, जिला–सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

4. जिला शिक्षा अधिकारी, गोपालगंज।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), गोपालगंज।
6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बरौली, जिला गोपालगंज।
7. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, देवपुर, बरौली, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

2. राज्य अपीलीय प्राधिकरण अपने अध्यक्ष, शिक्षा विभाग 5 सी–डी, योजना भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, गोपालगंज।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), गोपालगंज, शिक्षा विभाग, जिला–गोपालगंज।
5. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गोपालगंज।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (संस्थान), गोपालगंज।
6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

**साथ में**

**2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4496**

= = = =

4. संजीव कुमार, पिता– जवाहर भारती, वार्ड नंबर 20, कृष्णा नगर, डाक अधिकारी और जिला गोपालगंज निवासी, वर्तमान में गोरयाकोठी पश्चिम मथिया, थाना– गोरयाकोठी, जिला सिवान में रहता है।
5. माधुरी कुमारी, पिता– ठाकुर सिंह, ग्राम–हरिहरपुर (कला), थाना– जामो बाज़ार, जिला–सिवान की निवासी हैं।

..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला दंडाधिकारी, सिवान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सिवान।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सिवान।
7. खंड विकास अधिकारी–सह–सदस्य सचिव, खंड रोजगार इकाई, गोरयाकोठी, जिला–सिवान।
8. खंड विकास अधिकारी, गोरयाकोठी, सिवान।
9. खंड पंचायती राज अधिकारी, गोरयाकोठी, सिवान।
10. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, गोरयाकोठी, सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव–सह–प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला दंडाधिकारी, सिवान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सिवान।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सिवान।
7. सचिव–सह–खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षक रोजगार इकाई, जिरादेई, जिला–सिवान।
8. खंड विकास अधिकारी, जिरादेई, सिवान।
9. खंड पंचायती राज अधिकारी, जिरादेई, सिवान।
10. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, जिरादेई, सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

**साथ में**

**2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9061**

= = = =

5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सिवान।
6. खंड विकास अधिकारी, भगवानपुर हाट, जिला–सिवान।
7. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, खंड–भवनपुर हाट, जिला–सिवान।
8. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, राजापुर, भगवानपुर हाट, जिला–सिवान।
9. प्रधानाध्यापक, न्यू प्राइमरी स्कूल, बनबे चौरौली, ब्लॉक–भवनपुर हाट, जिला–सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

2. निर्मला तिवारी, पिता– चंद्र शेखर दुबे, गांव और पोस्ट और थाना–गुथानी, जिला–सिवान की निवासी।
3. खुशबू चतुर्वेदी, पिता– गंगा सागर चतुर्वेदी, ग्राम–सेमतार, पोस्ट और थाना–गुथानी, जिला–सिवान की निवासी।
4. रागिनी कुमारी, पिता– कामेश्वर सिंह, गांव–बेलोर, थाना–गुथानी, जिला–सिवान निवासी।
5. प्रदीप कुमार कुशवाहा, पिता– व्यास कुशवाहा, गांव–सोहरई, पोस्ट और थाना–गुथानी, जिला–सिवान, निवासी।
6. रीता देवी, पिता रुदल यादव, ग्राम–सेमतार, पोस्ट और थाना–गुथानी, जिला–सिवान, निवासी।

..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सिवान।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सिवान।
6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, गुथानी, जिला–सिवान।
7. सचिव, खंड शिक्षक नियोजन इकाई, खंड–गुथानी, जिला–सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

4. अलका कुमारी, पति देव कुमार सिंह, गांव–रघुनाथपुर तोला कोनिनाया, पोस्ट–रामपुर, थाना–केशरिया, जिला–पूर्वी चंपारण निवासी।
5. सीता कुमारी उर्फ सीता सिंह, पति सुजीत कुमार, गाँव और पोस्ट–सुल्तानपुर (उर्दू), थाना–भगवानपुर हाट, जिला–सिवान निवासी।
6. जितेंद्र कुमार राय, पिता बच्चा राय, गांव और पोस्ट–मिठी, थाना–गोरियाकोठी, जिला–सिवान निवासी।

..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सिवान।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सिवान।
6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बसंतपुर, जिला–सिवान।
7. सचिव, खंड रोजगार इकाई–बसंतपुर, खंड–बसंतपुर, जिला–सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

5. सचिव शिक्षक रोजगार इकाई–सह–खंड विकास अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला–गोपालगंज।
6. सदस्य सह प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला–गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

**साथ में**

**2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 11891**

= = = =

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गोपालगंज।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), गोपालगंज।
6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बरौली, गोपालगंज
7. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, सोनबरसा, बरौली, गोपालगंज।
8. मुखिया–सह–अध्यक्ष, पंचायत रोजगार समिति, बरौली, गोपालगंज।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

**साथ में**

**2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 12608**

= = = =

6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, पचरुखी खंड, जिला–सिवान।
7. खण्ड विकास अधिकारी, पचरुखी खण्ड, जिला–सिवान।

..... ..... उत्तरदातागण

= = = =

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 335 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री राकेश रंजन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्रीमती शिल्पा सिंह, जी. ए.–12

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 7455 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मदन जीत कुमार, जीपी–20

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 7956 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्रीमती. बिनिता सिंह, एससी–28

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 8092 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्रीमती बिनिता सिंह, एस. सी.–28

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 10955 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री माधव प्रसाद यादाव, जी. पी.–23

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 11380, 2022 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उदय शंकर सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री जितेंद्र कुमार, रॉय–1, एस. सी.–13

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 12923 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री प्रभाकर झा, जीपी–27

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 15093 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री माधव पी. डी. यादाव, जीपी–23

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 15450 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री जितेंद्र कुमार, रॉय–1, एससी–13

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 15766 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मदन जीत कुमार, जीपी–20

(2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 16673 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री करनदीप कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री कामेश्वर कुमार, जी. पी.–17

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2022 का 17728)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मदनजीत कुमार, जी. पी.–20

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2022 की 18081 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री कामेश्वर कुमार, जी. पी.–17

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 908 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री कामेश्वर कुमार, जी. पी.–17

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2023 का 1037)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मदनजीत कुमार, जीपी–20

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 1116 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री कामेश्वर कुमार, जी. पी.–17

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 1120 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री जितेंद्र कुमार रॉय–1, एससी–13

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 1124 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री सुभाष चंद्र मिश्रा, एससी–16

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2023 का 4554)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अभिनव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री कामेश्वर कुमार, जी. पी.–17

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2023 का 7405)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री जितेंद्र कुमार रॉय–1, एससी–1

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 9405 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पंकज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मदन जीत कुमार, जी. पी.–20

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2023 का 10139)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री सुभाष चंद्र मिश्रा, एससी–16

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10732 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मदनजीत कुमार, जी. पी.–20

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2023 का 13526)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री शंभू शरण कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री जितेंद्र कुमार रॉय–1, एससी–13

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2023 का 16458)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री कामेश्वर कुमार, जी. पी.–17

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2023 का 17645)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार, एससी–11

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 17679 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पंकज कुमार, एससी–12

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 17762 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री नवनीत कुमार तिवारी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री सर्वेश कुमार, जीपी–24

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 18173 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : स्थायी वकील–16

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 18315 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री धुर्जती कुमार प्रसाद जी. पी.–14

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 18362 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : अपर महाधिवक्ता 13 सरकारी वकील

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 18409 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमेश मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : स्थायी वकील 10

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 436 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी वकील (10)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 1001 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी प्लीडर 22 सरकारी वकील

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 1280 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : अपर महाधिवक्ता (13)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 3103 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी प्लीडर 13

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 3718 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : स्थायी वकील (9)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 3883 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री प्रताप शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी प्लीडर 7 सरकारी वकील

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 4140 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी अधिवक्ता 02

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 4160 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी अधिवक्ता 05

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 4178 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी वकील (4)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 4496 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी वकील (13)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 5932 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : स्थायी वकील (25)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 8696 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री महाधिवक्ता

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 9044 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी वकील (4)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 9061 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री कृष्ण कांत सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : स्थायी वकील (28)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 9062 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री कृष्ण कांत सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री महाधिवक्ता

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 10001 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी अधिवक्ता 3

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 10844 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री भुनेश्वर पांडे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : अपर महाधिवक्ता 12

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 11137 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री भुनेश्वर पांडे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री महाधिवक्ता

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 11461 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री धनंजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी वकील (7)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 11855 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : स्थायी वकील (28)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 11891 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री भुनेश्वर पांडे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी वकील (24)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 12183 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री महाधिवक्ता

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 12528 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी वकील 2

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 12608 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : स्थायी वकील (20)

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 12726 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यम शिवम सुंदरम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सरकारी प्लीडर 10

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले सं. 12965 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : अतिरिक्त महाधिवक्ता (12)

==========

- सार्वजनिक रोजगार – भर्ती प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए – याचिकाकर्ताओं ने 2006 और 2008 में पंचायत शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें नियुक्त नहीं किया गया (पैरा 4)। निर्णय: एक बार भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद, समाप्त हो चुके पैनल या सूचियों से नियुक्तियाँ नहीं की जा सकतीं (पैरा 20)। निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के बाहर की गई कोई भी नियुक्ति शुरू से ही अमान्य है (पैरा 22)। उद्धृत मामले: बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह [(2009) 5 एससीसी 65], भारत संघ बनाम ओ. चक्रधर [(2002) 3 एससीसी 146] (पैरा 21)।
- जिला अपीलीय अधिकारी – नियुक्तियाँ करने का कोई अधिकार नहीं – याचिकाकर्ताओं ने जिला अपीलीय अधिकारियों से संपर्क किया और दावा किया कि पहले नियुक्त किए गए लोगों के इस्तीफ़े के कारण रिक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं (पैरा 5)। जिला अपीलीय अधिकारियों ने अधिकार क्षेत्र के बिना उनकी नियुक्ति का निर्देश दिया (पैरा 23)। निर्णय: सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियाँ सक्षम नियुक्ति अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, अपीलीय अधिकारियों द्वारा नहीं (पैरा 24)। जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता (क्वांडो एलिक्विड प्रोहिबेटुर एक्स डायरेक्टो, प्रोहिबेटुर एट पेर ओब्लिकम) (पैरा 22)। उद्धृत मामले उड़ीसा राज्य बनाम ममता मोहंती [(2011) 3 एससीसी 436], के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(2008) 3 एससीसी 512] (पैरा 23)।
- संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 – सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर – जिला अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति में मनमाने ढंग से अन्य पात्र उम्मीदवारों को बाहर रखा गया (पैरा 21)।
- निर्णय: – बिना उचित प्रक्रिया के की गई नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती हैं (पैरा 21)। – रोजगार संबंधी निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी होने चाहिए और भर्ती नियमों का पालन करना चाहिए (पैरा 21)। जतिंद्र कुमार बनाम पंजाब राज्य [(2022) 5 एससीसी 684], एम. नागराज बनाम भारत संघ [(2006) 8 एससीसी 212] (पैरा 21)।
- भर्ती नियम प्रशासनिक आदेशों पर हावी हैं – राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को इस आधार पर पलट दिया कि नियुक्तियों में रिक्ति के समय लागू भर्ती नियमों का पालन किया जाना चाहिए (पैरा 26)। निर्णय: – 2012 में इस्तीफों के कारण उत्पन्न रिक्तियों को समाप्त हो चुके 2006–08 भर्ती पैनल से नहीं भरा जा सकता (पैरा 26)। नियुक्तियाँ रिक्ति उत्पन्न होने के समय लागू नियमों द्वारा शासित होनी चाहिए, न कि पुरानी भर्ती सूचियों द्वारा

(पैरा 26)। उद्धृत मामले बसवराज बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी [(2013) 14 एससीसी 81] (पैरा 26)।

- समय समाप्त होने के कारण कंपनी के सहयोगियों पर रोक लग गई है – कंपनी ने 2010 में भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जिला अपीलीय अधिकारियों से संपर्क करने में 6–8 साल से अधिक की देरी की (पैरा 25)। फ़ास्ट के लिए दावा करने में इसे कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति में विलंबित किया गया है (पैरा 28)। भर्ती चक्र समाप्त होने के बाद नियुक्तियों का दावा अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता है (उद्धृत मामला: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तरसेम लाल [(2006) 10 एससीसी 145], दिल्ली जल बोर्ड बनाम महिंदर सिंह [(2000) 7 एससीसी 210] (पैरा 28)।
- भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसे फिर से नहीं खोला जा सकता (पैरा 24) एस. रेणुका बनाम तमिलनाडु राज्य* [(2022) 9 एससीसी 95] (पैरा 24)। – रिट याचिका खारिज – हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं – उच्च न्यायालय ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा और याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया (पैरा 29)। रिट न्यायालय वैधानिक भर्ती प्रक्रियाओं के विपरीत नियुक्तियों का निर्देश नहीं दे सकता (पैरा 29)। उद्धृत मामले संघ लोक सेवा आयोग बनाम गिरीश जयंती लाल वाघेला* [(2006) 2 एससीसी 482] (पैरा 29)।

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

= = = =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. | सीडब्ल्यूजेसी 1280/24 | अपील सं. 4/2023 | 11/12/2023 |
| 18. | सीडब्ल्यूजेसी 3103/24 | अपील सं. 35/2022 | 04/10/2023 |
| 19. | सीडब्ल्यूजेसी 3718/24 | अपील सं. 62/2022 | 15/01/2024 |
| 20. | सीडब्ल्यूजेसी 4140/24 | अपील सं. टी–98/2023 | 07/12/2023 |
| 21. | सीडब्ल्यूजेसी 4160/24 | अपील सं. टी–99/2023 | 02/01/2024 |
| 22. | सीडब्ल्यूजेसी 4178/24 | अपील सं. टी–19/2023 | 01/02/2024 |
| 23. | सीडब्ल्यूजेसी 4496/24 | अपील सं. टी–201/2023 | 13/02/2024 |
| 24. | सीडब्ल्यूजेसी 5932/24 | अपील सं. टी–38/2023 | 21/02/2024 |
| 25. | सीडब्ल्यूजेसी 8696/24 | अपील सं. टी–164/2023 | 24/04/2024 |
| 26. | सीडब्ल्यूजेसी 9044/24 | अपील सं. टी–981/2022 | 09/05/2024 |
| 27. | सीडब्ल्यूजेसी 9061/24 | अपील सं. टी–972/2022 | 05/04/2024 |
| 28. | सीडब्ल्यूजेसी 9062/24 | अपील सं. टी–144/2023 | 15/05/2024 |
| 29. | सीडब्ल्यूजेसी 10001/24 | अपील सं. टी–970/2022 | 13/05/2024 |
| 30. | सीडब्ल्यूजेसी 10844/24 | अपील सं. टी–979/2022 | 30/05/2024 |
| 31. | सीडब्ल्यूजेसी 11137/24 | अपील सं. टी–178/2023 | 18/03/2024 |
| 32. | सीडब्ल्यूजेसी 11855/24 | अपील सं. टी–269/2023 | 26/06/2024 |
| 33. | सीडब्ल्यूजेसी 11891/24 | अपील सं. टी–37/2023 | 27/06/2024 |
| 34. | सीडब्ल्यूजेसी 12726/24 | अपील सं. 38/2023 | 20/06/2024 |
| 35. | सीडब्ल्यूजेसी 16170/22 | अपील सं. 132/2021 | 30.09.2022 |
| 36. | सीडब्ल्यूजेसी 335/22 | अपील सं. 343/2019 | 29.11.2021 |
| 37. | सीडब्ल्यूजेसी 7956/22 | अपील सं. 128/2021 | 12.05.2022 |
| 38. | सीडब्ल्यूजेसी 8092/22 | अपील सं. 63/2021 | 14.03.2022 |
| 39. | सीडब्ल्यूजेसी 10955/22 | अपील सं. 113/2021 | 09.06.2022 |
| 40. | सीडब्ल्यूजेसी 11380/22 | अपील सं. 377/2019 | 19.05.2022 |
| 41. | सीडब्ल्यूजेसी 12923/22 | अपील सं. 127/2021 | 22.07.2022 |
| 42. | सीडब्ल्यूजेसी 15093/22 | अपील सं. 130/2021 | 22.07.2022 |
| 43. | सीडब्ल्यूजेसी 15450/22 | अपील सं. 73/2021 | 13.05.2022 |
| 44. | सीडब्ल्यूजेसी 15766/22 | अपील सं. 87/2021 | 12.08.2022 |
| 45. | सीडब्ल्यूजेसी 16673/22 | अपील सं. 145/2021 | 30.09.2022 |
| 46. | सीडब्ल्यूजेसी 17728/22 | अपील सं. 131/2021 | 10.10.2023 |
| 47. | सीडब्ल्यूजेसी 18081/22 | अपील सं. 129/2021 | 22.07.2022 |
| 48. | सीडब्ल्यूजेसी 908/23 | अपील सं. 86/2021 | 18.11.2022 |
| 49. | सीडब्ल्यूजेसी 1037/23 | अपील सं. 71/2021 | 06.12.2022 |
| 50. | सीडब्ल्यूजेसी 1116/23 | अपील सं. 62/2021 | 10.10.2022 |
| 51. | सीडब्ल्यूजेसी 1120/23 | अपील सं. 98/2021 | 30.09.2022 |
| 52. | सीडब्ल्यूजेसी 1124/23 | अपील सं. 80/2021 | 18.11.2022 |
| 53. | सीडब्ल्यूजेसी 7405/23 | ओए सं. 499/2022 | 05.12.2022 |
| 54. | सीडब्ल्यूजेसी 9405/23 | ओए सं. टी–832/2022 और अपील सं. 39/2022 | 27.04.2023 |
| 55. | सीडब्ल्यूजेसी 10139/23 | अपील सं. 33/2022 | 25.05.2023 |
| 56. | सीडब्ल्यूजेसी 10732/23 | अपील सं. 31/2022 | 04.05.2023 |
| 57. | सीडब्ल्यूजेसी 13526/23 | अपील सं. 44/2022 | 11.08.2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *58.* | *सीडब्ल्यूजेसी 12965/24* | *अपील सं.283/2023* | *26.06.2024* |
| *59.* | *सीडब्ल्यूजेसी 17645/23* | *अपील सं.36/2022* | *29.09.2023* |

4. अनावश्यक विवरण से मुक्त होते हुए, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि इन मामलों के समूह में याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में पंचायत शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था, यानी नियुक्ति प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण के दौरान। योग्यता सूची में शामिल होने पर उन्हें परामर्श के लिए बुलाया गया। हालाँकि, अंतिम चयन प्रक्रिया के बाद, इन याचिकाकर्ताओं को उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।

5. याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि बाद में, कुछ चयनित उम्मीदवारों ने या तो इस्तीफा दे दिया या कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद स्वेच्छा से पद खाली कर दिया। इन रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करने पर, याचिकाकर्ताओं ने उक्त पद पर उनकी नियुक्ति के लिए जिला अपीलीय प्राधिकरणों से संपर्क किया। याचिकाकर्ताओं की शिकायतों और पंचायत सचिवों द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, जिला अपीलीय प्राधिकरणों ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपीलों को इस तथ्य पर विचार करते हुए अनुमति दी कि उनकी नियुक्तियां 2006 और 2008 की चयन प्रक्रिया के तहत की गई थीं। उपरोक्त आदेशों के अनुसार, जिला कार्यक्रम अधिकारी. (प्रतिष्ठान) ने संबंधित प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित जिलों के भीतर उक्त पद पर शामिल करने की सुविधा प्रदान करें।

6. इसके अलावा, सभी याचिकाकर्ताओं ने अपने सहमति पत्र प्रस्तुत किए और अपने–अपने जिलों में नामित स्कूलों में कार्यभार संभाला। हालाँकि, उक्त पद पर शामिल होने के बावजूद, उनका वेतन वितरित नहीं किया गया था। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न समान रिट याचिकाएं दायर करके इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इन मामलों के निर्णय पर, इस न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति दी, जिसमें सक्षम अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के दावों को सत्यापित करने और तदनुसार उनके वेतन का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि वर्तमान रिट याचिकाओं में उत्तरदाताओं ने बाद में जिला अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए राज्य अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया। राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने निर्णय लेने पर प्रत्यर्थियों की अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिससे याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को उनकी संबंधित नियुक्ति की तारीखों से पूर्वव्यापी प्रभाव से दरकिनार कर दिया गया। नतीजतन, सभी याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित पदों से हटा दिया गया, और संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को दिए गए सभी भुगतानों की वसूली करने का निर्देश दिया गया।

8. राज्य अपीलीय प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी है। कुछ मामलों में, इस अदालत की समन्वय पीठ ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों पर रोक लगा दी थी।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2007 और 2010 में नियुक्ति प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण के समापन से पांच या छह साल के अंतराल के बाद जिला अपीलीय प्राधिकरणों से संपर्क किया।यह तर्क दिया जाता है कि जिला अपीलीय प्राधिकरणों ने लागू विभागीय दिशानिर्देशों पर उचित विचार किए बिना और भर्ती के पहले और दूसरे दोनों चरणों के तहत उक्त पद के लिए चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं की अपीलों को गलती से अनुमति दी।

10. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने 2015 के सीडब्लूजेसी सं. 6015 (अकील बनाम बिहार राज्य और अन्य) *में इस अदालत द्वारा पारित दिनांकित 07.07.2015 आदेश पर भरोसा किया जिसमें इस अदालत ने कहा कि "इस विलंबित चरण में उस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है जिसका विज्ञापन किया गया था और जिस पर कार्यवाही वर्ष 2008 में पूरा किया गया था। इसके अलावा तब से नियमों ने योग्यता को बदल दिया है और नियुक्ति के लिए पात्रता बदल गई है। अब कोई भी नियुक्ति वर्तमान नियमों द्वारा नियंत्रित की जाएगी।*

11. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने मामले की विस्तृत जांच के बाद, उत्तरदाताओं द्वारा पसंद की गई अपीलों को सही ढंग से अनुमति दी। नतीजतन, यह दावा किया जाता है कि रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतें योग्यता से रहित हैं और साफ तौर पर अस्वीकृति की गारंटी देती हैं।

12. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि किसी भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई मामला या शिकायत लंबित नहीं है। नतीजतन, जिला अपीलीय प्राधिकरण ने पहले और दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया में उक्त पद के लिए इस्तीफे या खाली सीट के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति पर विचार किया होगा।

13. पक्षों की उपरोक्त दलीलों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि मामले का उचित, प्रभावी और सहायक निर्णय लेने के लिए विचार के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को तैयार करना उचित और उपयुक्त है।

I. क्या जिला अपीलीय प्राधिकरणों के पास 2006 में आयोजित पहले चरण से रिक्तियों के खिलाफ नियुक्तियों के संबंध में आदेश पारित करने की शक्ति है, जो बाद में 2008 में दूसरे चरण में आगे बढ़ाया गया और दिसंबर 2010 में समाप्त हुआ था, और यदि ऐसा है, तो क्या पहले और दूसरे चरण की नियुक्तियों के बंद होने के बाद अधिकारियों द्वारा की गई नियुक्ति वैध रहती है?

II. क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष मामला दायर करने में देरी के साथ–साथ जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा क्रमशः जिला अपीलीय प्राधिकरणों और राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष संतोषजनक कारण प्रदान किए बिना जिला अपीलीय प्राधिकरणों के आदेश के खिलाफ अपील करने में देरी को माफ किया जा सकता है?

III. क्या जिला अपीलीय प्राधिकरण, अपना आदेश पारित करते समय, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र सं. 465 दिनांक 09.07.2012 की सराहना करने और उस पर विचार करने में विफल रहे?

14. पहले मुद्दे के लिए, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि राज्य या उसके साधन समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यह नागरिकों की वैध अपेक्षा है कि वे शासन के सभी क्षेत्रों में निष्पक्ष, यथोचित और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। लोकतंत्र का निर्वाह और विकास मूल रूप से वास्तव में सुशासन के अभ्यास पर निर्भर करता है। कानूनी उक्ति सालुस पोपुली सुप्रीमा लेक्स – जो इसका अनुवाद है "लोगों का कल्याण सर्वोच्च कानून है" – सुशासन की नींव में गहराई से अंतर्निहित है। यह सभी सरकारी कार्यों में मौलिक और वैधानिक अधिकारों के लिए उचित सम्मान सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए राज्य की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आगे बताता है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्णय अत्यधिक ईमानदारी के साथ लिए जाने चाहिए, और नीतियों को लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य के साथ तैयार किया जाना चाहिए, जिससे उनके अनुप्रयोग में समावेशिता और एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। शासन की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण रूप से नियामक निकायों की दक्षता और अखंडता पर निर्भर करती है। नतीजतन, उनके कामकाज को जनता के विश्वास को प्रेरित करने और अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों, वैधानिक प्रावधानों और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना चाहिए। वास्तविक प्रगति तब होती है जब शासन प्रभावी होता है और शासन की प्रभावशीलता, बदले में, कानून के उचित कार्यान्वयन पर निर्भर होती है।

15. रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अपने–अपने जिलों के जिला अपीलीय प्राधिकरणों से संपर्क किया, 2006 और 2008 की भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की मांग की, जब उन उम्मीदवारों के स्वैच्छिक इस्तीफे के कारण रिक्तियां पैदा हुईं, जिन्हें शुरू में क्रमशः 2006 और 2008 में भर्ती का पहले चरण और दूसरे चरण के दौरान नियुक्त किया गया था। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने इस माननीय न्यायालय का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य पर दिलाया है कि 2006 की भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण 2007 में समाप्त हुआ था, और सभी खाली रिक्तियों को बाद में 2008 में दूसरे चरण में आगे बढ़ाया गया था। भर्ती का दूसरा चरण अंततः दिसंबर 2010 में उच्च अधिकारियों के एक स्पष्ट निर्देश के साथ समाप्त हो गया था कि 31.12.2010 के बाद कोई और नियुक्ति नहीं की जानी थी और किसी

भी शेष रिक्तियों को भर्ती के अगले चरण में आगे बढ़ाया जाना था। नतीजतन, पंचायत शिक्षक के पद के लिए आगे की सभी नियुक्तियों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र सं. 465, दिनांक 09.07.2012 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि दूसरे चरण से शेष रिक्तियों को भर्ती के तीसरे चरण की रिक्तियों के साथ मिला दिया जाए।

16. अभिलेखों को देखने पर, यह स्पष्ट है कि भर्ती का पहला चरण वर्ष 2007 में पूरा किया गया था, जबकि दूसरा चरण 2010 में पूरा किया गया था। इसके आलोक में, यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया के पहले और दूसरे दोनों चरणों के बंद होने के बाद ही जिला अपीलीय प्राधिकरणों से संपर्क किया। इसके अलावा, यह इस तथ्य को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ताओं को दिसंबर 2010 तक उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, फरवरी 2012 में उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्तियों को भविष्य की रिक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया के समाप्त चरणों के तहत इस पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है और ***उड़ीसा राज्य बनाम राजकिशोर नंदा,*** (2010) 6 एस. सी. सी. 777 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है और विशेष रूप से पैरा–11 में जो कहा गया है, उसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> *11. <u>यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि रिक्तियों को विज्ञापित रिक्तियों की सं. के अलावा नहीं भरा जा सकता है क्योंकि "अधिसूचित रिक्तियों से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक अधिकार से इनकार और वंचित है",</u> उन व्यक्तियों को जिन्होंने रिक्तियों की अधिसूचना की तारीख के बाद के वैधानिक नियमों के अनुसार प्रश्नगत पद के लिए पात्रता प्राप्त की है। अधिसूचित रिक्तियों पर रिक्तियों को भरना न तो अनुमेय है और न ही वांछनीय है, क्योंकि यह "शक्ति का अनुचित प्रयोग है और केवल एक दुर्लभ और असाधारण परिस्थिति में और आकस्मिक स्थिति में, इस तरह के नियम को विचलित किया जा सकता है और इस तरह के विचलन की अनुमति कुछ तर्कसंगत के आधार पर नीतिगत निर्णय लेने के बाद ही दी जा सकती है", अन्यथा यह अभ्यास मनमाना होगा। अधिसूचित रिक्तियों पर रिक्तियों को भरना भविष्य की रिक्तियों को भरने के बराबर है और इस प्रकार, कानून में इसकी अनुमति नहीं है।*
>
> *(जोर दिया गया)*

17. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आधार पर, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भविष्य की रिक्ति पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन में होगी। इसी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***पंजाब राज्य बनाम रघबीर चंद शर्मा का मामला में, (2002) 1 एस. सी. सी. 113*** में अभिलिखित, भी स्पष्ट किया गया है, विशेष रूप से पैरा 4 में, जिसे नीचे उद्धृत किया गया हैः

> *4. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ–साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि अपीलकर्ता राज्य के लिए उचित रूप से तर्क दिया गया था, आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी की गई अधिसूचना एक पद के संबंध में थी और चयन पैनल में पहले उम्मीदवार को न केवल प्रस्ताव दिया गया था, बल्कि प्रस्ताव की स्वीकृति पर नियुक्त किया गया था और बाद में ही वह इस्तीफा देने के लिए आया था। <u>एकमात्र पद के लिए पहले उम्मीदवार की नियुक्ति के साथ, जिसके संबंध में विचार किया गया और चयन पैनल तैयार किया गया, पैनल का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और किसी भी दर पर, पैनल में कोई और वैध रूप से यह तर्क नहीं दे सकता है कि उन्हें पैनल से नियुक्त व्यक्ति के बाद के इस्तीफे या बाद में उत्पन्न होने वाली किसी अन्य रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति में नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी।</u> हमारे विचार में, दिनांक 22–3–1957 का परिपत्र आदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा पैनलों से संबंधित है और न कि विचाराधीन प्रकृति के पैनल से। इसके अलावा, यहां तक कि परिपत्र आदेशों के अनुसार और पहले प्रतिवादी के लिए निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, कोई भी दावा नहीं किया जा सकता है और छह महीने की समाप्ति के बाद नियुक्ति के लिए स्वीकार किया जा सकता है। हमें अदालतों के समक्ष इस तरह के दावे को लागू करने के लिए कोई तुकबंदी या कारण नहीं मिलता है, बाद में उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पहले प्रतिवादी में कोई कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार होने की बात तो छोड़िए, जब कोई और उनके अनुभव और जरूरतों के साथ–साथ प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाता था।* ***(जोर दिया गया)***

18. इसके अलावा, इस अदालत द्वारा 2013 के एल. पी. ए. सं. 1398 में भी इसी तरह का आदेश पारित किया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया हैः

*.....यहाँ चयनित उम्मीदवारों में से एक के इस्तीफे के कारण बनी एक रिक्ति का अब कोई लाभ नहीं है क्योंकि इस संबंध में कानून ने अच्छी तरह से तय किया है कि शीर्ष अदालत द्वारा भी शामिल होने और इस्तीफे के बाद होने वाली किसी भी रिक्ति का उपयोग पैनल के किसी भी उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पैनल का जीवन समाप्त हो जाता है।* ***(जोर दिया गया)***

19. इसके अलावा, इस अदालत द्वारा 2014 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 7481 के माध्यम से पारित एक आदेश में, जो स्पष्ट रूप से सीमांकन करता है कि भविष्य में किसी भी रिक्ति को नियुक्ति के लिए भविष्य की कवायद में और भविष्य के नियमों और विनियमों के अनुसार भरना होगा।

*"इसके अलावा, कट–ऑफ तिथि के बाद अब किसी भी पद पर नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, जो राज्य सरकार द्वारा इंगित की गई थी और जो परिशिष्ट–3 में निहित संचार से भी परिलक्षित होती है। ऐसी रिक्तियों को अब नियुक्ति के लिए भविष्य की कवायद के खिलाफ भरा जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को पंचायत शिक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर लेता, जो अनिवार्य है।"*

20. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, और वर्तमान रिट याचिकाओं के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने पर, मेरा विचारित राय है कि 2006 और 2008 की नियुक्ति के पहले चरण और दूसरे चरण के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2010 तक निर्णायक रूप से पूरी हो गई थी। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता उक्त पद के लिए भर्ती के पहले और दूसरे चरण के तहत आवेदक थे। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट है कि जिला अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न तिथियों पर याचिकाकर्ताओं के दावों की अनुमति देते हुए पारित किए गए विवादित आदेश, पूर्ववर्तियों के माध्यम से निर्धारित किए गए स्थापित कानूनी सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन हैं। विवादित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं, जिससे वे कानूनी रूप से अस्थिर हो जाते हैं।"

21. इसके अलावा, यदि जिला अपीलीय प्राधिकरणों ने 2006 और 2008 के नियुक्ति पैनल से रिक्तियों को भरना उचित समझा होता, तो निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के कारण 2006 और 2008 की भर्ती प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण से सभी उम्मीदवारों के विचार की आवश्यकता होती। अधिकारी केवल इस धारणा के आधार पर अन्य योग्य उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से बाहर नहीं कर सकते थे कि वे या तो रोजगार में रुचि नहीं रखने वाले थे या जिला अपीलीय प्राधिकरणों से संपर्क नहीं करके अपने

अधिकारों को खो चुके थे। इस तरह का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

22. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, यदि जिला अपीलीय प्राधिकरणों को नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के दावों में योग्यता मिली थी, तो मामले को नियुक्ति समिति/रोजगार समिति को भेजा जाना चाहिए था, जो ऐसी नियुक्तियां करने की शक्ति रखने वाला सक्षम प्राधिकारी है। इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता का पालन करने में विफलता जिला अपीलीय प्राधिकरणों के निर्णय को कानूनी रूप से अस्थिर बनाती है। इस संबंध में, यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में लगातार दोहराया गया है, कि प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध कार्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी नहीं किया जा सकता है, जैसा कि लैटिन मैक्सिम "क्वांडो एलिक्विड प्रोहिबिटुर एक्स डायरेक्टो, प्रोहिबिटुर एट पर ओब्लिकम", में निहित है, जिसका अर्थ है "जो सीधे प्रतिबंधित है उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।"

23. जिला अपीलीय प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, यह रेखांकित करना अनिवार्य है कि विद्वान जिला अपीलीय प्राधिकरणों के पास क्रमशः 2006 और 2008 की भर्ती प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण से उत्पन्न दावों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। उस चरण के दौरान, शिकायतों का न्यायनिर्णयन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) थे, क्योंकि उस समय तक जिला अपीलीय प्राधिकरणों का विधिवत गठन नहीं किया गया था। इस अधिकार क्षेत्र की सीमा को 2014 के एल. पी. ए. सं. 984 के फैसले से और मजबूत किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि:

> *विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि नियमों की योजना और जिस तरीके से अपीलीय प्राधिकरण के मंच, बी. डी. ओ. को न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और जब ऐसा किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए यह पता चलेगा कि बी. डी. ओ. द्वारा हस्तक्षेप नियुक्ति प्रक्रिया के पहले चरण के संबंध में था। जब दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, तो बी. डी. ओ. की शक्ति छीन ली गई और न्यायाधिकरण में निहित कर दी गई। बी. डी. ओ. के समक्ष सभी लंबित मामलों को फिर न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस योजना की सही सराहना की गई कि न्यायाधिकरण को केवल दूसरे चरण की नियुक्तियों के मामलों और नियुक्तियों के पहले चरण के संबंध में लंबित मामलों में हस्तक्षेप करना था। दूसरे शब्दों में, <u>न्यायाधिकरण पहली बार उन नियुक्तियों के पहले चरण संबंध में शिकायतों पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं था जो न्यायाधिकरण के गठन से पहले पूरी की गई थीं। उस समय, यह बी. डी. ओ. था जो सक्षम प्राधिकारी था।</u> यह कारण हमसे अपील करता है और हम स्वीकार करते हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और इस अपील में अपीलार्थी के खिलाफ रहने का यह आधार एक अन्य कारण से भी समर्थित हो सकता है अर्थात चयन प्रक्रिया और नियुक्ति वर्ष 2007 में हुई थी और इसे चुनौती केवल वर्ष 2011 में न्यायाधिकरण के समक्ष दी गई*

> *थी, हालांकि अपीलकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने तुरंत बी. डी. ओ., कलेक्टर और अन्य के समक्ष प्रतिनिधित्व किया था या विरोध किया था। इस तरह की प्रस्तुतियों को प्रमाणित करने के लिए कोई समकालीन सामग्री नहीं है। यदि बी. डी. ओ. के समक्ष कोई मामला लंबित था, तो उसे न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाता/गया होता।*
>
> ***(जोर दिया गया)***

24. इसलिए, इन परिस्थितियों में, जिला अपीलीय प्राधिकरणों को मामले पर निर्णय नहीं देना चाहिए था या याचिकाकर्ताओं को सीधे उनके समक्ष दायर अपील के आधार पर नियुक्त नहीं करना चाहिए था। उक्त प्राधिकरण प्रश्नगत पद पर नियुक्तियाँ करने के लिए अधिकार क्षेत्र में निहित उपयुक्त मंच नहीं था। 2006 की नियुक्ति प्रक्रिया के पहले चरण से संबंधित किसी भी शिकायत पर पहले खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा उचित अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अनुसरण किए गए, निर्धारित कानूनी ढांचे के अनुसार, निर्णय लिया जाना आवश्यक था। नतीजतन, जिला अपीलीय प्राधिकरणों की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने और सक्षम नियुक्ति प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़पने की कार्रवाई अधिकार से बाहर है और कानूनी रूप से अस्थिर है। इसलिए, विवादित कार्रवाई कानूनी रूप से खराब है और इसे प्रारंभ से ही शून्य घोषित किए जाने का उत्तरदायी है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुद्दा सं. । का निर्णय लिया जाता है।

25. अब, मुद्दा सं. ।। पर आते हैं। याचिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 2006 के पहले चरण और 2008 के दूसरे चरण के लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्रमशः वर्ष 2007 और 2010 में संपन्न हुई थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने जिला अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अपनी अपील दायर करने में छह या आठ साल से अधिक की अवधि के लिए अनजाने में देरी की। विशेष रूप से, वर्तमान मामला वह नहीं है जहां याचिकाकर्ताओं को किसी अन्य उम्मीदवार के पक्ष में नजरअंदाज किया गया था; बल्कि, यह 2012 में खाली हुए पदों पर नियुक्तियों से संबंधित है। 2012 में रिक्तियों की घटना के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने जिला अपीलीय प्राधिकरणों से संपर्क करने में अतिरिक्त तीन से चार वर्षों की देरी की। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता इस तरह की अत्यधिक देरी के लिए कोई औचित्य प्रदान करने या किसी भी बाध्यकारी परिस्थितियों को प्रदर्शित करने में विफल हुए हैं जो उन्हें तुरंत निवारण की मांग करने से रोकते थे।

26. इसके अलावा, जिला अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अपनी अपील में, याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक पक्षकारों के रूप में शामिल करने में चूक की। इस परिकलित चूक के परिणामस्वरूप न्यायनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष मामले का एक व्यापक और सटीक विवरण प्रस्तुत करने में विफलता हुई। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थियों को, विवादित आदेशों से सीधे प्रभावित होने के कारण, पीड़ित

पक्षों के रूप में राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इसे चुनौती देने का पूरा अधिकार था। यह तथ्य कि उन्हें जिला अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक नीतियों, नियमों और निर्देशों को दबाने के जानबूझकर किए गए प्रयास को रेखांकित करता है। भौतिक तथ्यों को छिपाने और उचित प्रक्रिया की अवहेलना को कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

27. इसके बाद, किसी एक मामले में राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना अनिवार्य है, विशेष रूप से अपील सं. 132/2021, जो वर्ष 2007 में नियुक्ति के पहले चरण के समापन के बाद की स्थिति और मौजूदा परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक चित्रित करती है। राज्य अपीलीय प्राधिकरण के निष्कर्षों ने नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियात्मक और कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे वर्तमान मामले में तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति को मजबूत किया गया।

> *इस संबंध में, यह प्राधिकरण जिला अपीलीय प्राधिकरण, गोपालगंज के पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा दिनांकित 21.12.2018 लिखा गया पत्र सं. 1385 पर विचार करने के लिए भी लालायित है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि उस पीठासीन अधिकारी द्वारा विभागीय नियमों के खिलाफ 100 से अधिक आदेश पारित किए गए हैं। इसके बाद 2015 और 2016 के कई मामले उद्धृत किए गए हैं, जिनमें विभाग ने पाया था कि ऐसे आदेश पारित किए गए थे। विशेष रूप से यह कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए चयनित उम्मीदवारों के इस्तीफे के कारण रिक्त होने वाले पद पर नियुक्ति के संबंध में आदेश पारित किए जा रहे हैं। इस प्राधिकरण ने इस पत्र को उस स्थिति को दिखाने के लिए माना है जो उस समय इस संबंध में प्रचलित थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान विवादित आदेश एक चयनित शिक्षक के इस्तीफे के कारण खाली होने वाले पद पर नियुक्ति से भी संबंधित है। और यह आदेश उसी पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसे उपरोक्त पत्र संबोधित किया गया था। साथ ही, यह उसी अवधि से संबंधित है। यह प्राधिकरण महसूस करता है कि इस अपील की स्थिरता तय करने में, यह विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह सुनिश्चित करना किसी भी अदालत का कर्तव्य है कि अवैध नियुक्ति के इस तरह के रैकेट में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ न मिले। स्पष्टतः, यह आवेदकों द्वारा छिपाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का मामला है, पंचायत सचिव और मुखिया द्वारा छिपाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने और जिला प्राधिकरण का समान रूप से अनुचित कार्य है। यह समाज के साथ किया गया एक बड़ा धोखा है।*

28. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, यह मेरी सुविचारित राय है कि जिला अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई अपील सीमितता से वर्जित है क्योंकि वे जिला अपीलीय प्राधिकरणों से संपर्क करने में अत्यधिक देरी के लिए कोई ठोस औचित्य या प्रशंसनीय स्पष्टीकरण

प्रदान करने में विफल रहे हैं। इस तरह की लंबी चूक के लिए किसी भी संतोषजनक तर्क के अभाव में, अपील को कानून में अस्थिर बना दिया जाता है।

29. अब, उत्तरदाताओं द्वारा राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने में देरी को माफ करने के मुद्दे के संबंध में, मेरा विचार है कि इसे ***कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) बनाम कटिजी, (1987) 2 एस. सी. सी. 107 पृष्ठ 108*** पर, में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई है। इसमें की गई टिप्पणियां देरी को माफ करने की दिशा में दृष्टिकोण निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया है कि तकनीकी विचारों पर पर्याप्त न्याय होना चाहिए और अपील दायर करने में देरी से निपटने के लिए एक व्यावहारिक और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तदनुसार, उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले को नियंत्रित करेंगे। संदर्भ के लिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरणों को उद्धृत कर सकता हूं।

> *3. विधायिका ने भारतीय परीसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 को अधिनियमित करके [दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा कोई भी अपील या कोई भी आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलार्थी या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने या आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था।] अदालतों को "गुण–दोष" के आधार पर मामलों का निपटारा करके पक्षों के साथ पर्याप्त न्याय करने में सक्षम बनाने के लिए देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान की है। विधायिका द्वारा नियोजित "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति अदालतों को कानून को सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से लोचदार है जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है – जो अदालतों की संस्था के अस्तित्व के लिए जीवन–उद्देश्य है। यह सर्वविदित है कि यह न्यायालय इस न्यायालय में स्थापित मामलों में न्यायोचित रूप से उदार दृष्टिकोण अपनाता रहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह संदेश पदानुक्रम के अन्य सभी न्यायालयों तक नहीं पहुंचा है। और इस तरह का एक उदार दृष्टिकोण सिद्धांत रूप में/पर अपनाया जाता है क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि:*
>
> *"1. आम तौर पर एक वादी को देर से अपील दायर करने से लाभ नहीं होता है।*
>
> *2. देरी को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप एक सराहनीय मामले को बहुत हद तक बाहर फेंक दिया जा सकता है और न्याय का कारण विफल हो सकता है। इसके विपरीत जब देरी को क्षमा किया जाता है तो सबसे उच्चतम ऐसा/यह हो सकता है कि पक्षों को सुनने के बाद योग्यता के आधार पर एक कारण तय किया जाएगा।*
>
> *3. "हर दिन की देरी को समझाया जाना चाहिए" इसका मतलब यह नहीं है कि एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए। हर घंटे की देरी क्यों, हर सेकंड की देरी क्यों नहीं? इस सिद्धांत को तर्कसंगत सामान्य ज्ञान व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।*

*4. जब एक दूसरे के खिलाफ पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार रखे जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष गैर–जानबूझकर देरी के कारण किए जा रहे अन्याय में निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है।*

*5. ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि देरी जानबूझकर, या दोषपूर्ण लापरवाही के कारण, या दुर्भावना के कारण की गई है। एक वादी को देरी का सहारा लेने से लाभ नहीं होता है। वास्तव में वह एक गंभीर जोखिम उठाता है।*

*6. यह समझना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की अपनी शक्ति के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और ऐसा करने की उम्मीद की जाती है।*

*इस दृष्टिकोण से न्याय–उन्मुख दृष्टिकोण बनाते हुए, अपील की स्थापना में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण था। यह तथ्य कि यह "राज्य" था जो माफी मांग रहा था और एक निजी पक्ष नहीं था, पूरी तरह से अप्रासंगिक था। कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत की मांग है कि एक वादी के रूप में राज्य सहित सभी वादियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और कानून को समान तरीके से प्रशासित किया जाए। सौतेले व्यवहार के अनुसार कोई वारंट नहीं है जब "राज्य" आवेदक देरी की माफी के लिए प्रार्थना कर रहा है। वास्तव में अनुभव से पता चलता है कि एक अवैयक्तिक तंत्र (मामले के प्रभारी किसी को भी अपील के अधीन किए जाने वाले फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित या आहत नहीं किया जाता है) और नोट बनाने, फाइल–धकेलने और पारित करने के साथ विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण, इसकी ओर से देरी को समझना कम कठिन है, हालांकि इसे मंजूरी देना अधिक कठिन है। किसी भी स्थिति में, राज्य जो समुदाय के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, वह वादी–गैर–वांछनीय स्थिति का हकदार नहीं है। इसलिए अदालतों को "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति की व्याख्या के दौरान प्रावधान की आत्मा और दर्शन से अवगत कराना है। इसी तरह, इसी दृष्टिकोण को वर्तमान मामलों पर लागू करने में प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिसका अंत निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से है बजाय उस दृष्टिकोण के जो योग्यता के आधार पर निर्णय को बाधित करता है। वर्तमान अपील को जन्म देने वाले मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, हम संतुष्ट हैं कि देरी के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है। उच्च न्यायालय का आदेश उसके समक्ष अपील को समय–बाधित होने के कारण खारिज करते हुए, इसलिए, को रद्द कर दिया गया है। देरी को माफ कर दिया जाता है। और मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। उच्च न्यायालय अब दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद योग्यता के आधार पर अपील का निपटारा करेगा।*

***(जोर दिया गया)***

30. जहां तक राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष "राज्य" की अपील का संबंध है, यह न्यायालय ***राज्य हरियाणा बनाम चंद्र मणि, (1996) 3 एस. सी. सी. 132*** में रिपोर्ट किया गया ***पृष्ठ 138,*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का संदर्भ लेता है।

*11. यह कुख्यात और सामान्य ज्ञान है कि इस न्यायालय में दायर 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में देरी–चाहे वह निजी पक्ष द्वारा हो या राज्य द्वारा – परीसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है और यह न्यायालय आमतौर पर योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए कुछ पर्याप्त कारण खोजने में देरी को माफ करने में उदार दृष्टिकोण अपनाता है। यह समान रूप से सामान्य ज्ञान है कि राज्य सहित वादियों के साथ समान व्यवहार किया*

*जाता है और कानून को निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाता है। जब राज्य एक आवेदक होता है, जो देरी की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, तो यह सामान्य ज्ञान है कि निराकार मशीनरी अवैयक्तिक तंत्र और नोट बनाने, फाइल धकेलने और जिम्मेदारी डालने की मानसिकता से भरी हुई विरासत में मिले नौकरशाही पद्धति तरीके के कारण, राज्य की ओर से देरी को समझना कम कठिन है, हालांकि इसे मंजूरी देना अधिक कठिन है, लेकिन राज्य समुदाय के सामूहिक कारण का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वयंसिद्ध है कि अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निर्णय कहावत के अनुसार धीमी गति से लिए जाते हैं और फाइलों को एक मेज से दूसरी मेज पर धकेलने की बाधित/जटिल प्रक्रिया और इसे काफी समय तक मेज पर रखने की प्रक्रिया में कारित देरी – जानबूझकर या अन्यथा – एक दिनचर्या है। उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक लालफीताशाही (लाल–टेप) के कारण पर्याप्त/काफी देरी एक सामान्य विशेषता है। इसलिए, लचीलापन की निश्चित मात्रा अस्वीकार्य नहीं है। यदि राज्य द्वारा की गई अपीलें इस तरह की चूक के लिए खो जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में जो नुकसान होता है, वह जनहित है। इसलिए, "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को न्याय–उन्मुख दृष्टिकोण में व्यावहारिकता के साथ माना जाना चाहिए, न कि हर दिन की देरी को समझाने के लिए पर्याप्त कारण का तकनीकी पता लगाना चाहिए। सरकारी परिस्थितियों के संचालन के लिए विशिष्ट और विशेष कारक न्याय–उन्मुख प्रक्रिया में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए संज्ञानात्मक होंगे और इसकी आवश्यकता होगी। अदालत को गुण–दोष के आधार पर मामलों का फैसला करना चाहिए जब तक कि मामला निराशाजनक रूप से गुण–दोष रहित न हो। पर्याप्त कारण के सख्त मानकों को साबित करने के लिए राज्य और निजी वादी द्वारा निर्धारित कारण को निर्धारित करने के लिए कोई अलग मानक नहीं रखे जा सके। सरकार को उचित स्तर पर मामलों की जांच करने के लिए कानूनी प्रकोष्ठों का गठन करना चाहिए कि क्या अदालतों द्वारा निर्णय के लिए कोई कानूनी सिद्धांत शामिल हैं या क्या मामलों में समायोजन की आवश्यकता है और अधिकारियों को निर्णय लेने या निपटान के लिए उचित अनुमति देने के लिए अधिकृत करना चाहिए।अपील दायर करने के निर्णय की स्थिति में अपील दायर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और यदि कोई चूक हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। समान रूप से, राज्य को एक व्यक्ति के समान नहीं रखा जा सकता है। व्यक्ति हमेशा यह निर्णय लेने में त्वरित होगा कि क्या वह अपील या आवेदन के माध्यम से उपचार का पीछा/अनुसरण करेगा क्योंकि वह कानूनी रूप से घायल/पीड़ित व्यक्ति है जबकि राज्य अपने अधिकारियों या सेवकों के माध्यम से काम करने वाला एक अवैयक्तिक तंत्र है। इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए, यह माना जाना चाहिए कि इस मामले में 109 दिनों की देरी की व्याख्या की गई है और यह देरी को माफ करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।*

***(जोर दिया गया)***

31. माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय में दीवानी अपील सं. 2012 का 2474 में, जिसमें माननीय न्यायालय का पैरा 12 और 13 में उल्लिखित अवलोकन को यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में दोहराया गया है –

*12) ... .....यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि देरी को माफ करने के मामले में जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या सद्भावना की कमी नहीं थी, तो पर्याप्त*

*न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत अपनाई जानी चाहिए, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग विभिन्न पूर्व निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है। उपयोग की जा रही और उपलब्ध आधुनिक तकनीकों को देखते हुए अवैयक्तिक तंत्र और कई नोट बनाने की विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बांधता है।*

*13) हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और उपकरणों को सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है और प्रामाणिक प्रयास नहीं किया गया था, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फाइल को कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था। सरकारी विभागों का यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि वे परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। विलम्ब का निषेध एक अपवाद है और इसका उपयोग सरकारी विभागों के लिए एक प्रत्याशित लाभ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एक ही प्रकाश में रखता है और कुछ लोगों के लाभ के लिए इसे घुमाया नहीं जाना चाहिए।*

32. इसके बाद, यह न्यायालय 2013 की दीवानी अपील सं. 8183–8184 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय का सहारा चाहता है। इस निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न पूर्ववृत्तियों का उल्लेख किया गया है, और उनके आधार पर, निर्णय के पैराग्राफ 15 में सीमा के कानून को नियंत्रित करने वाले व्यापक सिद्धांतों की एक व्यापक सूची का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से, इन सिद्धांतों के बिंदु (xi) से (xiii) अत्यधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि वे तकनीकीताओं पर मूल न्याय की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं और देरी को माफ करने से संबंधित मामलों में एक उदार दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित उल्लेखनीय बिंदु निम्नलिखित हैं –

15. उपरोक्त प्राधिकरणों से जिन सिद्धांतों को व्यापक रूप से निकाला जा सकता है वे हैंः

(i) विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन पर विचार करते समय एक उदार, व्यावहारिक, न्याय उन्मुख, गैर–पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि अदालतों से अन्याय को वैध बनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन वे अन्याय को दूर करने के लिए बाध्य हैं।

(xi) यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति काल–सीमा कानून की तकनीकी बातों का सहारा लेकर धोखाधड़ी, गलत बयानी या अंतर्वेशन से बच नहीं सकता।

(xii) तथ्यों के सम्पूर्ण दायरे की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और दृष्टिकोण न्यायिक विवेक के प्रतिमान पर आधारित होना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ तर्क पर आधारित हो न कि व्यक्तिगत धारणा पर।

(xiii) राज्य या सार्वजनिक निकाय या सामूहिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई को कुछ स्वीकार्य छूट दी जानी चाहिए।

**(जोर दिया गया)**

33. प्रख्यात विधिवेत्ता सैल्मंड ने अपने ग्रंथ न्यायशास्त्र में सटीक रूप से कहा है कि "कानून सतर्क लोगों की सहायता के लिए आते हैं, न कि उन लोगों की जो सोए हुए हैं।" इसके अलावा, सीमा का कानून, कानूनी अनुशासन का एक मौलिक सिद्धांत होने के नाते, सरकार और उसके विभिन्न साधनों सहित सभी पर समान रूप से लागू होता है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि कुछ मामलों में उचित रूप से उदार दृष्टिकोण अपनाने का सिद्धांत प्रशासनिक तंत्र तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंचा है। इस प्रकार, उपर्युक्त कानूनी मिसालों के प्रकाश में, मुझे लगता है कि विचाराधीन आदेश स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि, जबकि राज्य द्वारा दायर अपील को किसी अधिकारी या कर्मचारी की चूक के कारण देरी के आधार पर खारिज किया जा सकता है, ऐसे मामलों में अंतिम नुकसान सार्वजनिक हित का होता है। प्रासंगिक क़ानूनों द्वारा प्रदत्त न्यायिक विवेक के प्रयोग में सार्वजनिक हित सर्वोपरि विचारणीय है, इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य को उन मामलों में कुछ उचित छूट दी जाए, जहां देरी न तो दुर्भावनापूर्ण है और न ही घोर लापरवाही का संकेत देती है।

34. इसके बाद, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामला कई उदाहरणों में से एक है जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा पंचायत अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जानकारी छिपाना, गलत बयानी और धोखाधड़ी का आचरण किया गया है। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सुस्थापित सिद्धांतों के मद्देनजर, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, यह न्यायालय पाता है कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा अपील दायर करने में देरी को माफ करने में अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया है। उक्त अपीलीय प्राधिकरण ने मामले को उसके गुण–दोष के आधार पर उचित रूप से निपटाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं के कारण न्याय को पराजित नहीं किया जाता है, खासकर उन मामलों में जहां धोखाधड़ी और गलत बयानी याचिकाकर्ताओं के दावों को प्रभावित करती है। इस प्रकार, मुद्दा सं. II भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तय किया जाता है।

35. अब, अंतिम मुद्दे पर आते हैं, अर्थात मुद्दा No.III. जैसा कि ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, इस न्यायालय का विचार है कि पत्र सं. 465, दिनांक 09.07.2012, याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अपनी अपील दायर करने से बहुत पहले शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा, यह कानून का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है", और "कानून" शब्द को भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (3) (ए) के तहत समावेशी रूप से परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है–

> *(क) "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप–कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रुढि या प्रथा शामिल है जिसका भारत के क्षेत्र में कानून का बल है;*

और, संविधान का अनुच्छेद 13 (3) (बी) विशेष रूप से "प्रवृत्त विधियों" का अर्थ प्रदान करता है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है –

> *(ख) "प्रवृत्त विधियों" में इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाए गए कानून शामिल हैं और जो पहले निरस्त नहीं किए गए थे, इसके बावजूद कि कोई ऐसी विधि या उसका कोई भाग तब या तो सभी जगह पर या विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता है।*

इसके अलावा, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार – "कानून का शासन" शब्द को "सामान्य अनुप्रयोग का एक कानूनी सिद्धांत, अधिकारियों की मान्यता द्वारा स्वीकृत, और आमतौर पर एक सिद्धांत या तार्किक प्रस्ताव के रूप में व्यक्त किया जाता है।

36. इसके बाद, मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, एक बार एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, तो यह सभी संबंधितों पर बाध्यकारी प्रभाव डालता क्योंकि व्यापक सिद्धांत कि "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है" तत्काल प्रभाव में आता है। इसके अलावा, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह के पत्र को जारी करना इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (3) (ए) के तहत परिभाषित "कानून" के दायरे में लाता है, जिससे कानून के शासन के एक साधन के रूप में इसके चरित्र को मजबूत किया जाता है। इस संवैधानिक जनादेश के आलोक में, कोई भी कार्रवाई या दावा जो स्थापित कानूनी ढांचे के विपरीत चलता है, कानूनी रूप से असमर्थनीय है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, उक्त पत्र जारी होने पर, जिला अपीलीय प्राधिकरण कानूनी रूप से इसके निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य थे। हालांकि, तत्काल मामले में, जिला अपीलीय प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों पर निर्णय लेते समय उसमें निहित निर्देशों पर विचार करने और उन्हें लागू करने में विफल रहे। इस स्पष्ट चूक की राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपने विवादित आदेश में व्यापक रूप से जांच और आलोचना की गई है। नतीजतन, यह स्पष्ट है कि जिला अपीलीय अधिकारियों ने अपना निर्णय देते समय पत्र सं. 465,

दिनांक 09.07.2012 की अवहेलना करके और उस पर उचित विचार करने में विफल रहकर एक गंभीर कानूनी त्रुटियां की।

37. इसके बाद, मुझे 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 12593 वाले एक अन्य मामले का संदर्भ देना प्रासंगिक लगता है, जिसमें इसी तरह के विषय से संबंधित 30.08.2022 का आदेश महत्वपूर्ण है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ उद्धृत किया जाना उचित है।

> *इस सवाल की जांच की जानी चाहिए कि क्या यह रिक्ति वर्ष 2008 से संबंधित होगी। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त करता है और वर्तमान मामले की तरह एक साथ वर्षों तक पद पर जारी/बना रहता है, तो उक्त शिक्षकों को वर्ष 2015 या उससे अधिक में समाप्त कर दिया गया था, क्या रिक्ति को 2008 में खाली माना जा सकता है।*
>
> *इस अदालत की राय में, रिक्ति भर्ती के वर्ष से संबंधित नहीं होगी। चयन सीधी भर्ती द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति जो पद धारण करता है और अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लेता है, इसलिए जब उसे हटा दिया जाता है या स्वेच्छा से इस्तीफा दे देता है, तो वह पद उस विशेष दिन खाली हो जाता है और बाद के वर्षों के लिए सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध होगा।*

38. इसे ध्यान में रखते हुए, चूंकि नए भर्ती नियम 2012 के बाद प्रभावी/लागू हुए हैं, वर्ष 2015 में किसी ऐसे व्यक्ति के स्वैच्छिक इस्तीफे के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्ति, जिसने कानूनी माध्यमों से नियुक्ति प्राप्त की थी, उस समय खाली मानी जाएगी। नतीजतन, ऐसी रिक्तियों को 2012 की भर्ती नियमों या रिक्ति उत्पन्न होने के समय प्रचलित कोई अन्य नियमों के अनुसार सख्ती से भरा जाना चाहिए। नतीजतन, प्रारंभिक नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आवेदन करने वाले व्यक्तियों के दावे कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि चयन प्रक्रिया को प्रारंभिक नियुक्ति के समय मौजूद नियमों के बजाय रिक्ति के समय लागू कानूनी ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुद्दा No.III तय किया जाता है।

39. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर चर्चा किए गए दृष्टान्त को ध्यान में रखते हुए, मैंने पाया कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने उत्तरदाताओं द्वारा पसंद की गई सभी अपीलों को उचित रूप से अनुमति दी है और उन्हें बरकरार रखा गया है। नतीजतन, ये सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

40. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

**(अंजनी कुमार शरण, न्यायमूर्ति)**

त्रिवेदी/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।